

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 170 OF 2021**

IN THE MATTER OF:

**NOORUL SEHAR LARI**

... Applicant

**Versus**

**STATE OF UTTAR PRADESH &ORS.**

...Respondent(s)

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Index	1-3
2.	Affidavit on behalf of Nagar Panchayat, Lar, Uttar Pradesh	4- 14
3.	<b>Annexure- A:</b> True Copy of Minutes of the meeting dated 01.12.2022	15 - 17
4.	<b>Annexure- B:</b> True Copy of letter from the office of District Magistrate dated 23.12.2022, directing the EO- Nagar Panchayat, Lar.	18

5.	<b>Annexure-C:</b> True copy of the passbook of the aforementioned account along with other details. This	19
6.	<b>Annexure- D:</b> True copy of information to the Joint Secretary, Urban Development vide letter dated- 03.01.2012	20
7.	<b>Annexure- E:</b> True copy of the water purification work order.	21
8.	<b>Annexure- F:</b> True copy of tests report of the drain water along with a comparison to the parameter levels before the bioremediation.	22
9.	<b>Annexure- G:</b> True copy of test reports of water samples were conducted by AGSS.	23-26
10.	<b>Annexure- H:</b> True copy of letter dated- 09.01.2023 to District Magistrate, Deoria.	27-28
11.	<b>Annexure- I:</b> True copy of the contract of sludge treatment.	29
12.	<b>Annexure- J:</b> True copy of the public notice	30
13.	<b>Annexure- K:</b> True copy of detailed compliance letter dated- 19.01.2023 to the Respected Joint Secretary of Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh.	31

Ganvathy Tindri

Respondent

Priyanka  
THROUGH

PRIYANKA SWAMI

Advocate

Counsel for Nagar Panchayat, Lar, U.P.

Chamber 04, Shivalik Tower

Kaushambi, Ghaziabad

Date: \_\_.02.2023

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 170 OF 2021**

IN THE MATTER OF:

**NOORUL SEHAR LARI**

**... Applicant**

**Versus**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...Respondent(s)**

**ACTIONS TAKEN AND COMPLIANCE UNDERTAKEN  
BY THE NAGAR PANCHAYAT, LAR**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

You are requested to kindly take the following Action Taken Report on behalf of The Nagar Panchayat, Lar on record under ongoing matter, Original Application No. 170/2021, titled as- Noorul Sehar Lari Versus State of U. P. & Ors.:-

1. The Nagar Panchayat, Lar filed a Four point Action Taken Report dated- 15.09.2022, in compliance of order dated- 05.04.2022. Upon hearing of the present matter on 10.10.2022, following directions were made by the Hon'ble National Green Tribunal ("NGT").

*"5. From the above, it is seen that though action plan involving funding of Rs. 7.40 crore has been prepared, the same has not been accepted. Violations are still continuing. Only action reported is at the stage of proposal to collect sewage and take it to stabilization ponds as interim measure till establishment of STP facility. UP Jal Nigam is to construct RCC drain as a conveyance system.*

- i. 6. Thus, mere proposal does not help and violations are required to be remedied, fixing accountability for the failure of the State. Since no proper results are shown by bio-remediation, such process is serving no purpose. There is no information about the quantity and quality of treatment, quality of treated water from the outlet of waste stabilization pond and utilization of treated sewage.*
- ii. 7. Accordingly, on the pattern of orders of this Tribunal, compensation has to be levied @ Rs.2 crore per MLD of untreated sewage discharged which is equal of capital cost of treatment of sewage. We direct the State of UP to deposit a sum of Rs. 7.5 crores in a ring-fenced account within one month with the District Magistrate, Deoria (which will be the responsibility of the ACS, Urban Development, UP) for preventing discharge*

*of untreated sewage into the drains. Instead, the sewage is treated suitably and used for secondary purposes such as irrigation, considering such models elsewhere (like Karnal Technology, Root Zone Treatment). The same is also mentioned in the guidelines of Central Public Health & Environmental Engineering Organization (CPHEEO), Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI.*

- iii. 8. The joint Committee headed by ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP with nominees of CPCB, State PCB and District Magistrate, Deoria as members may oversee utilisation of the amount for the purpose. It may ensure that tangible results are brought about within six months and an interim report about actions taken about such steps is filed within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
- iv. 9. The ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP and District Magistrate, Deoria may remain present in person by video conference on the next date."*

2. In honor of the order dated 10.10.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal an RCC was constituted. The committee is headed by- Principal Secretary, Urban Development Department, UP Government and members include- Representative nominated by Central Pollution Control Board, Lucknow; Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow along with District Magistrate-Deoria. Under the chairmanship of Principal Secretary- Urban Development, Government of Uttar Pradesh, the meeting of this committee was held on 01.12.2022. After a deliberate discussion, steps were resolved to be taken to prevent untreated sewage from falling into the drains in Nagar Panchayat Lar, Deoria, and Minutes of the meeting dated 01.12.2022 is herewith filed as **Annexure- A**
3. It was resolved by the committee that Compliance of the instructions given in point number-6 (2), (3) and (4) had to be ensured from the level of Executive Officer Nagar Panchayat, Lar. The letter from the office of District Magistrate dated 23.12.2022, directing the EO- Nagar Panchayat, Lar is enclosed here as **Annexure- B**.
4. Apart from the steps already taken and mentioned in the ATR dated- 15.09.2022, the Nagar Panchayat, Lar was directed to open Ring Fenced Account. In which the amount released under the City Sanitation Action Plan for Nagar Panchayat Lar, Deoria and other funds as required can be kept. In compliance of which **account number -**

**41548430616, with IFSC - SBIN0011162** has been opened in State Bank of India branch- Lar. The copy of the passbook of the aforementioned account along with other details is herewith attached at **Annexure- C**. This information has also been disseminated to the Joint Secretary, Urban Development vide letter dated- 03.01.2012, herewith filed as **Annexure- D**.

**In addition to the directions made in the aforesaid order, Nagar Panchayat, Lar has also taken following systematic actions for the purification and diversion of contaminated drains:-**

5. The water of the drain in question is being purified by the process of bioremediation and is being discharged into Gata No. 1724. So that the underground water does not get polluted. A firm named M/s J. Sharp Technology has been designated vide work order dated- 25.05.2022 for the bioremediation work through which the work of water purification is being done. True copy of the work order is herewith attached as **Annexure- E**.
6. That After the bioremediation treatment on the affected drains, the Ph, TSS, BOD and COD levels were found in conforming limits and the tests report of the drain water along with a comparison to the parameter levels before the bioremediation are herein attached as **Annexure- F**.

7. The test reports of water samples were conducted by AGSS Analytical and Research Lab (P.) Ltd. And the reports dated- 24.11.2022 and 25.10.2022 has been filed here as **Annexure- G.**
  
8. It is to be informed that under Swachh Bharat Mission 2.0, construction work of a Sewage Treatment Planthas been proposed in Nagar Panchayat Lar. In respect of which approval has been received by the state level constituted committee. Detailed estimate for STP construction has to be prepared by Jal Nigam (Urban). In this regard, through a letter dated 06.01.2023, a request has been made to the Executive Engineer Jal Nigam (Urban) to prepare a detailed estimate. The detailed estimate has been prepared by the Executive Engineer Jal Nigam (Urban), and through a letter dated 27.01.2023 Asst. Engineer UP Jal Nigam (urban) deoria, has informed to Executive officer Nagar Panchayat Lar that the detail estimate has been send to head office chef engineer Jal Nigam (urban) Lucknow for further necessary action. The office of District Mgistrate, Deoria, has been kept informed about these developments vide letter dated- 09.01.2023 & 1.02.2023, the copy of which is herein attached as **Annexure- H.**
  
9. For the disposal of fecal sludge, which is emitted within the boundaries of Nagar Panchayat Lar has been resolved to be carried out in FSTP established by Nagar Palika

Parishad, Deoria, located 40 km away from Nagar Panchayat Lar for which a 12- Point contract has been reached with Nagar Palika Parishad Deoria, that fecal will be collected by depositing the prescribed fee. Sludge will be disposed of as per rules. The true copy of the abovementioned contract is being filed herein as **Annexure- I.**

**10.**A public notice dated- 10.11.2022 has been published through the newspaper for the information of the general public under Nagar Panchayat Lar, that fecal sludge from any house should not be dumped in the drain water and the septic tank built in your house should be cleaned on time. Provision has also been made for fine on the persons who violate it. A copy of the public notice is being filed here as **Annexure- J.**

**11.**The drain in question passes through the side of Gata number: 1712, and is being dropped in Gata number: 1724, recorded as a drain in the revenue records. At present, the flow of drain water has been completely stopped for Gata number 1712. The drain next to 1712, was earlier in underdone form, which has been converted into a concrete drain due to which the spread of water has completely ceased. The drain water is not being discharged into any natural stream (river). The flow of solid waste is being stopped by putting mesh in the drain. Drain water is being cleaned by adding bleaching powder for preliminary


purification, apart from the process of bioremediation. This work is also being done in all the small drains found in connection with the drain in question. Therefore, in compliance with the order of Hon'ble NGT, the updated report regarding the bioremediation process and all the above actions adopted by Nagar Panchayat has been informed vide a detailed letter dated- 19.01.2023 to the Respected Joint Secretary of Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, which has been filed as **Annexure- K**.

12. The untreated sewage waste is no more being discharged in open land having Khasra No. 1712 of the applicant.

**PRAYER**

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:


- i. Take the above averments on record as the actions taken by the Nagar Panchayat, Lar and consider the same while passing any order.
- ii. Pass any such other order as may deem fit.



Respondent

THROUGH

**PRIYANKA SWAMI**

  
Advocate

**Counsel for Nagar Panchayat, Lar, U.P.**

**Chamber 04, Shivalik Tower**

**Kaushambi, Ghaziabad**

Date: \_\_.02.2023

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 170 OF 2021

IN THE MATTER OF:

NOORUL SEHAR LARI

... Applicant


Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... Respondent(s)

AFFIDAVIT

Affidavit of Sh. Rajan Nath Tiwari, aged about 38 years s/o  
Sh. Dharm Sen Nath Tiwari, presently posted as **Executive  
Officer, Nagar Panchayat- Lar, Deoria, Uttar Pradesh**, having  
office at Near Bus stand Ward No. 14 N.P Lar, Deoria  
Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon instructions based on official record.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official



records and nothing material has been concealed there from.

*Ram Nath Tiwari*

DEPONENT

**VERIFICATION**

03 FEB 2023

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this \_\_\_\_ day of February, 2023, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

*Ram Nath Tiwari*

DEPONENT

**IDENTIFIED**  
*By Priyanka Swami*  
*D/4276/10.*



03 FEB 2023

*[Signature]*

**ATTESTED**

**MINATI RANI MOHAPATRA  
ADVOCATE (NOTARY)  
Mob. No.: 8130128457**

**ATTESTED**

*[Signature]*

**NOTARY PUBLIC  
GOVT. OF INDIA, DELHI**

**ATTESTED**

*[Signature]*

**MINATI RANI MOHAPATRA  
NOTARY DELHI-R-16971  
GOVERNMENT OF INDIA  
SUPREME COURT OF INDIA  
COMPOUND NEW DELHI  
REGISTER Pg./Sl. No.**

21/11/22

Amr. A.

NGT 15  
20/11

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-170/2021 नुरुल शहर लारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपरिस्थिति: संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-170/2021 नुरुल शहर लारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में कार्यालय झाप संख्या-एन०जी०टी०-205/नौ-5-2022-11रिट/2021, दिनांक 09.11.2022 द्वारा नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों हेतु जिलाधिकारी-देवरिया के निवर्तन पर ring fenced account में रूपये 7.5 करोड़ की धनराशि रखे जाने तथा उक्त धनराशि का सदुपयोग अनुपचारित प्रवाह को नाले में रोके जाने हेतु किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया है:-

प्रमुख, सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
जिलाधिकारी-देवरिया।	सदस्य

2- उरोक्तानुसार गठित संयुक्त समिति की प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से बापू भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- (1)- श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ,
- (2)- जिलाधिकारी-देवरिया (ऑनलाइन)।
- (3)- श्री आर० के० सिंह, सी०ई०ओ०, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- (4)- श्री गुरु प्रसाद, सहायक निदेशक (एस०बी०एम०), नगरीय निकाय निदेशालय
- (5)- श्री राजन कुमार तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया (ऑनलाइन)।

2- मा० राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-170/2021 नुरुल शहर लारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के सुसंगत अंश का विवरण निम्नवत् है:-

"-----7. Accordingly, on the pattern of orders of this Tribunal<sup>2</sup>, compensation has to be levied @ Rs.2 crore per MLD of untreated sewage discharged which is equal of capital cost of treatment of sewage. We direct the State of UP to deposit a sum of Rs. 7.5 crores in a ring-fenced account within one month with the District Magistrate, Deoria (which will be the responsibility of the ACS, Urban Development, UP) for preventing discharge of untreated sewage into the drains. Instead, the sewage is treated suitably and used for

secondary purposes such as irrigation, considering such models elsewhere (like Karnal Technology, Root Zone Treatment). The same is also mentioned in the guidelines of Central Public Health & Environmental Engineering Organization (CPHEEO), Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI.

8. The joint Committee headed by ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP with nominees of CPCB, State PCB and District Magistrate, Deoria as members may oversee utilisation of the amount for the purpose. It may ensure that tangible results are brought about within six months and an interim report about actions taken about such steps is filed within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

9. The ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP and District Magistrate, Deoria may remain present in person by video conference on the next date."

3- बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 के अन्तर्गत रुपये 7.40 करोड़ लागत से सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) की परियोजना मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से अनुमोदित हो गई है।

उपर्युक्त अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त टाइम लाईन निर्धारित करते हुए समस्त कार्य करा लिये जायेंगे।

5- सहायक निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया द्वारा एस०टी०पी० के निर्माण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कराये जा रहे बायोरेमिडिएशन की स्थिति से अवगत कराया गया।

6- उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

1) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से अनुमोदित परियोजना हेतु वांछित धनराशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ)

2) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विषयगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में अनुपचारित सीवेज को नाले में गिरने से रोके जाने हेतु सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एण्ड इन्चार्जमेंटल इंजीनीयरिंग ऑर्गनाइजेशन (CPHEEO) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार करनाल टेक्नोलॉजी अथवा रूट जोन ट्रीटमेंट के अनुसार की जाये।

(कार्यवाही: निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया )

3) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से

रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों के लिए जिलाधिकारी-देवरिया के निवर्तन पर ring fenced account खुलवाया जाये, जिसमें नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया हेतु सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि एवं यथावश्यक अन्य धनराशि रखी जा सके।

(कार्यवाही: जिलाधिकारी-देवरिया/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया )

- 4) नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया द्वारा एस0टी0पी0 के निर्माण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कराये जा रहे बायोरेमिडिएशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं बायोरेमिडिएशन से जलीय गुणवत्ता में हो रहे सुधार की स्थिति/लैब रिपोर्ट इत्यादि तथ्यों के आधार पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ए0टी0आर0 दाखिल की जाये।

(कार्यवाही: अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया )

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अमृत अभिजात  
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या:-NGL/नौ-5-2022-11रिट/2021

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(शहरी), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5-क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- 6-क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7-सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8-जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 9-अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया।
- 10-बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी गण।
- 11-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

6366 (1)

ADM (E)/OCLB/

नर अरुपाकन अन्तमा श्री अ. सेज।

20/12/2022

आज्ञा से,

16.12.2022  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

अतिआवश्यक

## कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

संख्या 1960 / एल0बी0सी0-2022

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-170/2021 नुरुल शहर लारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त का प्रेषण।

अधिशाली अधिकारी,

नगर पंचायत, तार

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ के पृष्ठांकित पत्र संख्या-NGT-242/नौ-5-2022-11 रिट/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-170/2021 नुरुल शहर लारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त का प्रेषण किया गया है, जिसमें बिन्दु संख्या-6 (2), (3) एवं (4) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन आपके स्तर से सुनिश्चित किया जाना है।

अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि कृपया कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

संलग्नक :- यथोपरि

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
देवरिया

सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले संक्षेपाक्षर / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता	Csh = Cash/कचड़ी	Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल
adj = Adjustment/समायोजन	dep = Deposit/जमा	Pr = Principal/मूलधन
Amt = Amount/रशि	Dft = Draft/ड्राफ्ट	proc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
Ar = Arrear/बकायापरशि	dish/dsh = Dishonor/अस्वीकृत	rd = Recurring Deposit/आवर्ती जमा
bal = Balance/बेष	DR = Debit/माघे	ret/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पूंजीकरण	DOB = Date of Birth/जन्म तारीख	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Chg/ch = Charge/प्रभार	eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	sb = Savings Bank/बचत बैंक
Chq = Cheque/चेक	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	SC = Short Credit/शॉर्ट क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश
Clos = Closure/समाप्ति	Int / In = interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/समाहरण	lon/loan/ऋण	tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm. = Commission/कमीशन	min = Minimum/न्यूनतम	txn = Transaction/लेनदेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/बकायापरशि	Wdl = Withdrawal/आहरण
CR = Credit/क्रेडिट	P&T = Postal Charges/काक प्रभार	+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/कुल जमा बेष (बचत बैंक + चहवर्ती खाता)



भारतीय स्टेट बैंक  
STATE BANK OF INDIA


Branch: LAR BRANCH  
LAR BRANCH

Code: 11162

Email: sbi.11162@sbi.co.in  
Phone No.: 236034  
IFSC: SBIN0011162

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00  
MICR: 274002092

MOP: SINGLE  
A/c Opening Dt: 31/12/2022  
Nom Reg No:  
Customer's PAN:  
Date of Issue: 02/01/2023  
FIRST



Account Name: RING FENCED ACCOUNT  
A/c Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT  
Address: NAGAR PANCHYAT LAR  
NAGAR PANCHYAT LAR  
NAGAR PANCHYAT LAR, LAR TOWN, DEORIA  
Phone No.:  
Email:  
O.B. (If Minor):  
PAN Number:

प्रेषक,

अधिशायसी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया।

सेवा में,

संयुक्त सचिव  
नगर विकास अनुभाग-5  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ।

संख्या: 734 / न0प0लार / 2022-23

दिनांक: 03/01/2023


विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-170/2021, नूरुल सेहर लारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है, कि प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में, सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में कतिपय विन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। तत्सम्बन्ध में अनुपालन आख्या विन्दुवार निम्नवत है।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022, के कार्यवृत्त के अनुपालन में, नगर पंचायत लार जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों के लिए जिलाधिकारी देवरिया के निवर्तन पर Ring Fenced Account खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें की नगर पंचायत लार देवरिया हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि एवं यथाआवश्यक अन्य धनराशि रखी जा सके। जिसके अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक शाखा लार में खाता संख्या-41548430616. (एफ0एस0सी0-SBIN0011162) खोला गया है। (पासबुक की छायाप्रति संलग्न)
2. प्रश्नगत नाले के पानी को वायोरैमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा परिशोधित कर, गाटा संख्या: 1724 में गिराया जा रहा है। जिससे की भूमिगत जल प्रदूषित न हो सके। वायोरैमेडिएशन कार्य हेतु मे0 जे0 शार्प टेक्नोलाजी नामक फर्म का चयन किया गया है। फर्म द्वारा परिशोधित जल के गुणवत्ता के सम्बन्ध में इन्लेट-आउटलेट रिपोर्ट अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के समादर में गठित समिति की बैठक सम्बन्धी अनुपालन आख्या आप महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।



अधिशायसी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय देवरिया।

अधिशायसी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

( 15 वॉ वित्त आयोग " निर्दिष्ट अनुदान " )

कार्यालय नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया

पत्रांक: मेमो / न0प0लार / 2022-23

दिनांक: 25.05.2022

कार्यादेश

मे0 जे0 शार्प टेक्नोलाजी  
एल0डी0ए0 कालोनी ऐशबाग  
लखनऊ (उ0प्र0)

आपको इस कार्यादेश द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप द्वारा डाली गयी ई-निविदा संख्या-2022\_DOLBU\_696602\_1 न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्न है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	फर्म / ठेकेदार द्वारा भरा गया दर	अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प पेपर	कार्य पूर्ण की अवधि
1	नगर पंचायत लार के विभिन्न नालों पर बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा जल शोधन का कार्य।	1000000.00	998000.000	मु0 110.00 रू0 मात्र	15 दिन

अतः कार्यादेश प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आप नियमानुसार स्टैम्प पेपर अनुबन्धित कराना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात कार्यालय को सूचना देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। तथा गुणवत्ता के जाँच के उपरान्त भुगतान हेतु बिल कार्यालय को प्रस्तुत करें।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

ओ 0 ए0 संख्या-170/2021, नूरुल सेहर लारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-10-2022 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या

Sr. No	Name of ULB	Date of sampling	Before Bioremediation				After Bioremediation				% Reduction				Standarder outlet Parameters			
			Ph	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Ph	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Ph	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	
1	Nagar Panchayat Lar	27/10/2021	7.62	196	74	280	7.52	96	28	210	PCB Gorakhpur/A GSS	51.02	62.16	25.00	6.5-9	100	30	150
2		30/12/2021	7.33	155	55	152	7.23	38	30	118		75.48	45.45	22.37	6.5-9	100	30	150
3		21/01/2022	7.9	221	72	173	7.05	38	30	118		82.81	58.33	31.79	6.5-9	100	30	150
4		28/03/2022	7.1	201	52	153	7.04	38	29	115		81.09	44.23	24.84	6.5-9	100	30	150
5		30/04/2022	7.8	212	62	270	7.03	38	28	115		82.08	54.84	57.41	6.5-9	100	30	150
6		1/7/2022	7.8	211	71	256	7.5	91	28	126		56.87	60.56	50.78	6.5-9	100	30	150
7		20/7/2022	7.9	205	70	245	7.4	85	25	120		58.53	64.28	51.02	6.5-9	100	30	150
8		21/10/2022	7.8	380	95	280	7.5	85	25	135		77.63	73.68	51.78	6.5-9	100	30	150
9		21/11/2022	7.9	340	85	260	7.4	80	22	125		76.47	74.11	51.92	6.5-9	100	30	150
		26/12/2022	7.8	260	54	255	7.2	78	20	120	70.00	62.96	52.94	6.5-9	100	30	150	

अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया



# AGSS ANALYTICAL AND RESEARCH LAB (P) LTD.

(An ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018 Certified Company)

C-37/2, 3rd & 4th Floor, Lawrence Road, Industrial Area, Delhi-35

Ph: 011-45022985, 9311654060

E-mail: agsslabs@gmail.com, support@agsslab.com Web: www.agsslab.com



CIN : U73200DL2016PTC300483

DOC No: AGSS/QS/F-024

## TEST REPORT

Issued to: M/S J SHARP TECHNOLOGY 23, Butler colony Lucknow , U.P.	Lab Reference No.	AGSS/GN/20221226-18686
	Sample Registration Date	26/12/2022
	Report Issue Date	30/12/2022

### Sample Particulars:

Name Of The Product:	Waste Water	Batch No.: NA
Analysis Starting Date:	26/12/2022	Analysis Completion Date: 30/12/2022
Date of Manufacture:	NA	Date of Expiry: NA
Quantity Received:	1 Ltr x 3	Packing: Plastic Bottle
Sample Condition:	OK	Tests Required: Chemical Test
Sample Description:	Colourless Liquid	
Sample Received By	Mr. Ashok (AGSS Lab Representative)	Sampling Date: 20/11/2022
Sampling Method:	NA	Location: Nagar Panchayat Lar

S. No.	Parameter	Result		Test Method
		Inlet	Outlet	
1.	pH value	7.8	7.2	IS:3025 (P-11)
2.	Biological or Biochemical Oxygen Demand (BOD), mg/L	54	20	IS:3025 (P-44)
3.	Chemical Oxygen Demand (COD), mg/L	255	120	IS:3025 (P-58)
4.	Total Suspended Solids, mg/L	260	78	IS:3025 (P-17)

Checked By:  
Chandra Dev

Dr. Shival Singh  
 Director Technical  
 (Authorized Signatory)  
 AGSS Analytical and Research Lab (P) Ltd.  
 Delhi

\*\*\*\*\*End of Test Report\*\*\*\*\*

Page No. 1/1

NOTE : (1) The laboratory accepts the responsibility for content of report. (2) The above result pertain only to the sample tested and applicable parameters. (3) Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. (4) This test report shall not be reproduced wholly or in part and can not be used as an evidence in the court of law without written approval of M/S AGSS. (5) The sample will be stored up to 20 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified. (6) Sample not drawn by M/S AGSS Lab, unless specified in report. (7) All disputes are subject to the Delhi jurisdiction.





# AGSS ANALYTICAL AND RESEARCH LAB (P) LTD.

(An ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018 Certified Company)

C-37/2, 3rd & 4th Floor, Lawrence Road, Industrial Area, Delhi-35

Ph.: 011-45022985, 9311654060

E-mail: agsslabs@gmail.com, support@agsslabs.com Web.: www.agsslabs.com



CIN : U73200DL2016PTC300483

DOC No: AGSS/QS/F-024

## TEST REPORT

Issued to: M/S J SHARP TECHNOLOGY 23, Butler colony Lucknow, U.P.	Lab Reference No.	AGSS/GN/20221226-18686
	Sample Registration Date	26/12/2022
	Report Issue Date	30/12/2022


### Sample Particulars:

Name Of The Product:	Waste Water	Batch No.: NA
Analysis Starting Date:	26/12/2022	Analysis Completion Date: 30/12/2022
Date of Manufacture:	NA	Date of Expiry: NA
Quantity Received:	1 Ltr x 3	Packing: Plastic Bottle
Sample Condition:	OK	Tests Required: Chemical Test
Sample Description:	Colourless Liquid	
Sample Received By	Mr. Ashok (AGSS Lab Representative)	Sampling Date: 20/11/2022
Sampling Method:	NA	Location: Nagar Panchayat Lar

S. No.	Parameter	Result		Test Method
		Inlet	Outlet	
1.	pH value	7.8	7.2	IS:3025 (P-11)
2.	Biological or Biochemical Oxygen Demand (BOD), mg/L	54	20	IS:3025 (P-44)
3.	Chemical Oxygen Demand (COD), mg/L	255	120	IS:3025 (P-58)
4.	Total Suspended Solids, mg/L	260	78	IS:3025 (P-17)

Checked By:  
Chandra Dev

\*\*\*\*\*End of Test Report\*\*\*\*\*



NOTE : (1) The laboratory accepts the responsibility for content of report. (2) The above result pertain only to the sample tested and applicable parameters. (3) Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. (4) This test report shall not be reproduced wholly or in part and can not be used as an evidence in the court of law without written approval of M/S AGSS. (5) The sample will be stored up to 20 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified. (6) Sample not drawn by M/S AGSS Lab, unless specified in report. (7) All disputes are subject to the Delhi jurisdiction.





# AGSS ANALYTICAL AND RESEARCH LAB (P) LTD.

(An ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018 Certified Company)

C-37/2, 3rd & 4th Floor, Lawrence Road, Industrial Area, Delhi-35

Ph.: 011-45022985, 9311654060

E-mail: agsslabs@gmail.com, support@agsslabs.com Web.: www.agsslabs.com

CIN : U73200DL2016PTC300483

DOC No: AGSS/QS/F-024


Issued to: <b>M/S J SHARP TECHNOLOGY</b> 23, Butler colony Lucknow , U.P.	Lab Reference No.	AGSS/GN/20221121-17222
	Sample Registration Date	21/11/2022
	Report Issue Date	24/11/2022

### Sample Particulars:

Name Of The Product:	Waste Water	Batch No.: NA
Analysis Starting Date:	21/11/2022	Analysis Completion Date: 24/11/2022
Date of Manufacture:	NA	Date of Expiry: NA
Quantity Received:	1 Ltr x 3	Packing: Plastic Bottle
Sample Condition:	OK	Tests Required: Chemical Test
Sample Description:	Colourless Liquid	
Sample Received By	Mr. Ashok (AGSS Lab Representative)	Sampling Date: 20/11/2022
Sampling Method:	NA	Location: Nagar Panchayat Lar

S. No.	Parameter	Result		Test Method
		Inlet	Outlet	
1.	pH value	7.9	7.4	IS:3025 (P-11)
2.	Biological or Biochemical Oxygen Demand (BOD), mg/L	85	22	IS:3025 (P-44)
3.	Chemical Oxygen Demand (COD), mg/L	260	125	IS:3025 (P-58)
4.	Total Suspended Solids, mg/L	340	80	IS:3025 (P-17)

Checked By:  
Chandra Dev

  
 Dr. Shival Singh  
 Director  
 (Authorized Signatory)

\*\*\*\*\*End of Test Report\*\*\*\*\*

Page No. 1/1

NOTE : (1) The laboratory accepts the responsibility for content of report. (2) The above result pertain only to the sample tested and applicable parameters. (3) Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. (4) This test report shall not be reproduced wholly or in part and can not be used as an evidence in the court of law without written approval of M/S AGSS. (5) The sample will be stored up to 20 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified. (6) Sample not drawn by M/S AGSS Lab. unless specified in report.





# AGSS ANALYTICAL AND RESEARCH LAB (P) LTD.

(An ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018 Certified Company)

C-37/2, 3rd & 4th Floor, Lawrence Road, Industrial Area, Delhi-35

Ph.: 011-45022985, 9311654060

E-mail: agsslabs@gmail.com, support@agsslabs.com Web.: www.agsslabs.com

CIN : U73200DL2016PTC300483

DOC No: AGSS/QS/F-024

<b>Issued to:</b> <b>M/S J SHARP TECHNOLOGY</b> 23, Butler colony Lucknow, U.P.	<b>Lab Reference No.</b>	AGSS/GN/20221021-17110
	<b>Sample Registration Date</b>	21/10/2022
	<b>Report Issue Date</b>	25/10/2022

### Sample Particulars:

<b>Name Of The Product:</b>	<b>Waste Water</b>	<b>Batch No.:</b> NA
<b>Analysis Starting Date:</b>	21/10/2022	<b>Analysis Completion Date:</b> 25/10/2022
<b>Date of Manufacture:</b>	NA	<b>Date of Expiry:</b> NA
<b>Quantity Received:</b>	1 Ltr x 3	<b>Packing:</b> Plastic Bottle
<b>Sample Condition:</b>	OK	<b>Tests Required:</b> Chemical Test
<b>Sample Description:</b>	Colourless Liquid	
<b>Sample Received By</b>	Mr. Ashok (AGSS Lab Representative)	<b>Sampling Date:</b> 20/10/2022
<b>Sampling Method:</b>	NA	<b>Location:</b> Nagar Panchayat Lar

S. No.	Parameter	Result		Test Method
		Inlet	Outlet	
1.	pH value	7.8	7.5	IS:3025 (P-11)
2.	Biological or Biochemical Oxygen Demand (BOD), mg/L	95	25	IS:3025 (P-44)
3.	Chemical Oxygen Demand (COD), mg/L	280	135	IS:3025 (P-58)
4.	Total Suspended Solids, mg/L	380	85	IS:3025 (P-17)


Checked By:  
Chandra Dev

Dr. Shival Singh  
Director Technical  
(Authorized Signatory)

\*\*\*\*\*End of Test Report\*\*\*\*\*

Page No. 1/1

NOTE : (1) The laboratory accepts the responsibility for content of report. (2) The above result pertain only to the sample tested and applicable parameters. (3) Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. (4) This test report shall not be reproduced wholly or in part and can not be used as an evidence in the court of law without written approval of M/S AGSS. (5) The sample will be stored up to 20 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified. (6) Sample not drawn by M/S AGSS Lab. unless specified in report.



प्रेषक,

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय  
जनपद-देवरिया।

संख्या: 739 / न0प0लार / 2022-23

दिनांक: 09/01/2023

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-170/2021, नूरुल सेहर लारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है, कि प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में, सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में कतिपय विन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या: 1983/एल0बी0सी0-2023, दिनांक 06 जनवरी 2023 के माध्यम से प्रगति आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तदकम में प्रगति आख्या विन्दुवार निम्नवत है।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022, के कार्यवृत्त के अनुपालन में, नगर पंचायत लार जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों के लिए जिलाधिकारी देवरिया के निर्वर्तन पर Ring Fenced Account खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें की नगर पंचायत लार देवरिया हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि एवं यथाआवश्यक अन्य धनराशि रखी जा सके। जिसके अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक शाखा लार में खाता संख्या-41548430616, (एफ0एस0सी0-SBIN0011162) खोला गया है।
2. प्रश्नगत नाले के पानी को वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा परिशोधित कर, गाटा संख्या: 1724 में गिराया जा रहा है। जिससे की भूमिगत जल प्रदूषित न हो सके। वायोरेमेडिएशन कार्य हेतु मे0 जे0 शार्प टेक्नोलाजी नामक फर्म का चयन किया गया है। जिसके द्वारा जल शोधन का कार्य किया जा रहा है।
3. महोदय अवगत कराना है, कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अर्न्तगत नगर पंचायत लार में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य, प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गठित समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
4. महोदय एस0टी0पी0 निर्माण हेतु विस्तृत आगणन जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किया जाना है। इस सम्बन्ध में अधिशायी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) को दिनांक 06.01.2023 को पत्र के माध्यम से विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। तदकम में अधिशायी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) द्वारा विस्तृत आगणन तैयार कर लिया गया है, तथा शासन में प्रेषित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के समादर में गठित समिति के निर्देश के क्रम में प्रगति आख्या, आप महोदय व अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

09.01.2023  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

प्रेषक,

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय  
जनपद-देवरिया।

संख्या: 755 / न0प0लार / 2022-23

दिनांक: 01-02-2022

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-170/2021, नूरुल सेहर लारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है, कि प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2022 को उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में, सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में कतिपय विन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या: 1983/एल0वी0सी0-2023, दिनांक 06 जनवरी 2023 के माध्यम से प्रगति आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में अद्यतन प्रगति आख्या विन्दुवार निम्नवत है।

- 1 मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022, के कार्यवृत्त के अनुपालन में, नगर पंचायत लार जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों के लिए जिलाधिकारी देवरिया के निवर्तन पर Ring Fenced Account खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें की नगर पंचायत लार देवरिया हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि एवं यथाआवश्यक अन्य धनराशि रखी जा सके। जिसके अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक शाखा लार में खाता संख्या-41548430616, (एफ0एस0सी0-SBIN0011162) खोला गया है।
- 2 प्रश्नगत नाले के पानी को वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा परिशोधित कर, गाटा संख्या: 1724 में गिराया जा रहा है। जिससे की भूमिगत जल प्रदूषित न हो सके। वायोरेमेडिएशन कार्य हेतु मे0 जे0 शार्प टेक्नोलाजी नामक फर्म का चयन किया गया है। जिसके द्वारा जल शोधन का कार्य किया जा रहा है।
- 3 महोदय अवगत कराना है, कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अर्न्तगत नगर पंचायत लार में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य, प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गठित समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
- 4 महोदय एस0टी0पी0 निर्माण हेतु विस्तृत आगणन जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किया जाना है। इस सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता जल निगम (नगरीय) को दिनांक 06.01.2023 को पत्र के माध्यम से विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। तदक्रम में अधिशाली अभियन्ता जल निगम (नगरीय) द्वारा विस्तृत आगणन तैयार कर लिया गया है, तथा पत्र संख्या: 166/कार्य-66-17, दिनांक 27.01.2023 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुये बताया गया है, कि विस्तृत प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (नागर) प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के समादर में गठित समिति के निर्देश के क्रम में अद्यतन प्रगति आख्या, आप महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

6/1/24/2022  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध

FW 173556

फीकल स्लज व सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) के अन्तर्गत नगर पंचायत लार सीमान्तर्गत घरेलू एवं सामुदायिक, सार्वजनिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि शौचालयों से निकलने वाला फीकल स्लज के निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद देवरिया के स्वामित्व के FSTP (जटमलपुर) देवरिया से निस्तारित करने के लिए अनुबन्ध पत्र।

प्रथम पक्ष — नगर पालिका परिषद देवरिया जनपद—देवरिया द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया।

द्वितीय पक्ष — नगर पंचायत लार द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लार।

यह कि उक्त पत्र में निम्नलिखित अनुबन्ध करते हैं—

- 1— यह कि प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया के पास तीन सीवर सॅक्शन मशीन उपलब्ध है, जिसमें एक ट्रैक्टर सहित सीवर सक्शन मशीन (5000 ली0) एवं दो टाटा 407 फीटेड सक्शन मशीन (4000—4000 ली0) उपलब्ध है।
- 2— यह कि द्वितीय पक्ष नगर पंचायत लार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष से सीवर सॅक्शन मशीन मॉगने पर, प्रति सीवर टैंक भरने के अनुसार नगर पालिका परिषद देवरिया के मा0 बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क मु0 2000=00 ₹0 एवं प्रति चक्कर डीजल व्यय नगर पालिका परिषद देवरिया प्रथम पक्ष को देय होगा।
- 3— यह कि नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी सीवर सॅक्शन मशीन के चालू हालत में यदि कोई टूट—फूट होती है तो मरम्मत की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
- 4— यह कि यदि द्वितीय पक्ष के पास यदि उनके निकाय का सीवर सक्शन मशीन उपलब्ध हो तो वह अपने वाहन का उपयोग कर सकता है, जिसके लिये उन्हें निकाय द्वारा निर्धारित रूट से परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा, जो कि निःशुल्क होगा। भविष्य में यदि प्लांट संचालक संस्था द्वारा स्लज के ट्रीटमेंट हेतु कोई शुल्क लगाया जाता है तो प्रतिचक्कर/प्रति वाहन निर्धारित शुल्क प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
देवरिया

Page 1 | 2  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत-लार  
जनपद-देवरिया

व राज उर  
सम्बन्धित  
तिहास की  
पृष्ठाछ में  
प्रार सुमित  
र, हरियाणा  
उर व मोटर  
बाद में रहने  
को देते है।  
ए ए व  
लोगो के  
है।

उस आवेदन के खिलाफ हेतु सदाशत  
करने के लिए 2022 के 12 के 20  
दिवस को बजे पूर्वाह्न में स्वयं या  
सम्यकरूपेण अनदिह अपने अधिवक्ता  
द्वारा उपस्थित हो और ऐसा करने में  
असफल होने पर उक्त आवेदन एक  
पक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित  
किया जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय  
की मुहर सहित आज... के दिवस को  
निकाला गया।  
निश्चयतिथि- 20.12.2022

सी.आर.-48/D-CN

प्रकार के नि:शुल्क कैम्प भविष्य में लगाये जायेंगे ताकि  
जरूरतमंदों की सेवा की जा सके। स्वास्थ्य मेले को  
सम्बोधित करते हुए संस्थापक चेयरमैन गुलशन नागपाल  
ने कहा कि स्वास्थ्य मेला लगाने का उद्देश्य मरीजों को  
चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूक करना है। शरीर कुदरत का  
दिया हुआ अनमोल रत्न है। इसकी देखभाल के लिए  
झोलाछाप चिकित्सक से, नु जाकर विशेषज्ञ की सलाह  
लेकर इलाज कराना चाहिए। स्वास्थ्य मेले में डॉ.मोहित  
सिंगला, डॉ. तुषार महता, डॉ.रजनीश सिंघल, डॉ.विक्रान्त  
निरंकारी, डॉ.रजू चौधरी, डॉ.रूपम गुप्ता, डॉ.रेनु सिंघल,  
डॉ.प्राची अग्रवाल, डॉ.नैन्सी मिगलानी ने लगभग 450

मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें नि:शुल्क दवाईयों  
प्रदान की तथा अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए टिप्स  
भी दिये। कैम्प का कुशल संचालन संयोजक गोविन्द सिंह  
ने किया। इस अवसर पर कैम्प में सेवाएं देने वाले  
चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।  
शिविर में मुख्य रूप से महासचिव शिवचंद्र गुलाटी,  
कोषाध्यक्ष सुनील मखीजा, एच.एस.प्रोवर, उपाध्यक्ष विरेन्द्र  
भारती, ललित आहूजा, प्रधानाचार्या सुषमा बजाज, रमन  
चावला, मुकेश सेठ, मनप्रीत सिंह, रमा आहूजा, हरजोत  
कौर, नीलम नागपाल आदि मौजूद रहे।

या

22

## कार्यालय नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया

पत्राक-मेमो/ न.पं.लार/2022-23

दिनांक-10-11-2022

### सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि-

- 1-"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" के क्रम में नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।
- 2- नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग ऑपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत लार से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी उनके स्वयं की होगी।
- 3-नगर पंचायत लार से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्डों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 4-नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मोबाईल नम्बर 8189078440 तथा DCCC के टोल फ्री नम्बर 1533 पर सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
- 5-नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी), खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्डों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 6-नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत लार अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0-1500 रुपये अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
- 7-सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: सेशोधित "मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट" सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत लार या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।
- 8-नगर पंचायत लार सीमा अन्तर्गत खुले में शौच एवं पेशाब करते पाये जाने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 व नगर पंचायत द्वारा प्रकाशित उपविधि के अनुसार 300 रु0 जुर्माना लिया जायेगा, पुनरावृत्ति करने पर 500 रु0 जुर्माना लिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

अध्यक्ष  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

ज

2016  
जायेगा।

secondary purposes such as irrigation, considering such models elsewhere (like Karnal Technology, Root Zone Treatment). The same is also mentioned in the guidelines of Central Public Health & Environmental Engineering Organization (CPHEEO), Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI.

8. The joint Committee headed by ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP with nominees of CPCB, State PCB and District Magistrate, Deoria as members may oversee utilisation of the amount for the purpose. It may ensure that tangible results are brought about within six months and an interim report about actions taken about such steps is filed within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

9. The ACS/Principal Secretary, Urban Development, UP and District Magistrate, Deoria may remain present in person by video conference on the next date."

3- बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 के अन्तर्गत रुपये 7.40 करोड़ लागत से सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) की परियोजना मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से अनुमोदित हो गई है।

उपर्युक्त अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त टाइम लाईन निर्धारित करते हुए समस्त कार्य करा लिये जायेंगे।

5- सहायक निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया द्वारा एस०टी०पी० के निर्माण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कराये जा रहे बायोरेमिडिएशन की स्थिति से अवगत कराया गया।

6- उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

1) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से अनुमोदित परियोजना हेतु वांछित धनराशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ)

2) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विषयगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में अनुपचारित सीवेज को नाले में गिरने से रोके जाने हेतु सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एण्ड इन्वायरमेंटल इंजीनीयरिंग ऑर्गनाइजेशन (CPHEEO) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार करनाल टेक्नोलॉजी अथवा रूट जोन ट्रीटमेंट के अनुसार की जाये।

(कार्यवाही: निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया )

3) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में नगर पंचायत लार, जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से

प्रेषक,

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया।

सेवा में,

संयुक्त सचिव  
नगर विकास अनुभाग-5  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ।

संख्या: 745 / न0प0लार / 2022-23

दिनांक 19 जनवरी 2023

विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में बिचाराधीन ओ0ए0 संख्या: 170 / 2021 के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:सा0सेल/40/विधि-2021-22 दिनांक 18 फरवरी 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें नुरुल सेहर लारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, के प्रकरण में प्रार्थना पत्र संख्या 170/2021 में पारित आदेश, 29 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही सम्बन्धी अद्यतन अनुपालन आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में अद्यतन अनुपालन आख्या निम्नवत है-

- 1 नगर पंचायत का नाला, गाटा संख्या: 1712, के बगल से होकर गुजरता है, तथा राजस्व अभिलेख में नाले के रूप में दर्ज गाटा संख्या: 1724, में गिराया जा रहा है। वर्तमान में गाटा संख्या 1712 में नाले के पानी का बहाव पूर्णतः बन्द कर दिया गया है।
- 2 गाटा संख्या: 1712 के बगल से होकर गुजरने वाला नाला, पहले कच्चे स्वरूप में था जिसे, वर्तमान में पक्का नाले के रूप में परिवर्तित किया गया है। जिससे पानी का फैलाव पूर्णतया बन्द है।
- 3 नाले का पानी किसी प्राकृतिक बहाव (नदी) में नहीं गिराया जा रहा है।
- 4 नाले में जाली लगाकर ठोस अपशिष्ट के प्रवाह को रोका जा रहा है।
- 5 नाले के जल के प्रारम्भिक शोधन हेतु क्लोरीन पाउडर डालकर साफ किया जा रहा है। यह कार्य प्रश्रनगत नाले में मिलने वाले सभी छोटे नालों में भी किया जा रहा है।
- 6 नाले के पानी को वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा परिशोधित कर, गाटा संख्या: 1724 में गिराया जा रहा है। जिससे की भूमिगत जल प्रदूषित न हो सके। वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया हेतु मे0 जे0 शार्प टेक्नोलाजी, नाम फर्म का चयन किया गया है, वर्तमान में वायोरेमेडिएशन के बाद, उत्सर्जित जल के अद्यतन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सी0ओ0डी0 120 मिग्रा/लीटर एवं बी0ओ0डी0 20 मिग्रा/लीटर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार टी0एस0एस0 लेबल 78 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जॉच रिपोर्ट के अनुसार वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया अपनाते के उपरान्त प्रदूषण भार में कमी आयी है एवं सकारात्मक परिणाम मिले है।
- 7 मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के समादर में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022, के कार्यवृत्त के अनुपालन में, नगर पंचायत लार जनपद-देवरिया में Untreated Sewage को नालों में गिरने से रोके जाने हेतु किये जाने वाले उपाय इत्यादि कार्यों के लिए जिलाधिकारी देवरिया के निवर्तन पर Ring Fenced Account खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें की नगर पंचायत लार देवरिया हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि एवं यथाआवश्यक अन्य धनराशि रखी जा सके। जिसके अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक शाखा लार में खाता संख्या-41548430616, (एफ0एस0सी0-SBIN0011162) खोला गया है।
- 8 नगर पंचायत लार में कोई सीवर लाईन मौजूद नहीं है, वर्तमान में एस0बी0एम0 2.0 के अन्तर्गत जल निगम नगरीय द्वारा, एस0टी0पी0, निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, तथा, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (नगरीय) से डी0पी0आर0 तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।
- 9 नगर पंचायत लार सीमान्तगत आमजन के सूचनार्थ समाचार पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी है, कि किसी भी घर से फीकल स्लज, नाले के पानी में न गिराये, तथा, अपने घर में बने हुये सेप्टिक टैंक की सफाई निर्धारित समय पर कराये। इसका उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर जूमाने का भी प्राविधान किया गया है।
- 10 नगर पंचायत लार से 40 कि0मी0 दूर अवस्थित नगर पालिका परिषद देवरिया, द्वारा स्थापित एफ0एस0टी0पी0, में नगर पंचायत लार सीमान्तगत उत्सर्जित होने वाले, फीकल स्लज के निस्तारण हेतु, नगर पालिका परिषद देवरिया से अनुबन्ध गठन किया गया है, कि निर्धारित शुल्क जमा कर फीकल स्लज का निस्तारण नियमानुसार कराया जायेगा।

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में नगर पंचायत लार द्वारा अपनायी जाने वाली वायोरेमेडिएशन प्रक्रिया संबंधी अद्यतन आख्या आप महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

19.01.2023  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत लार  
देवरिया

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय पदुषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत लार